

PAG. 2521
22/10/18

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं0 34(39)चिस्वा/2/2018

जयपुर,दिनांक:
24/9/18

निदेशक(जनस्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0जयपुर।

7196.

विषय:- डॉ. मनोहर सिंह राजपुरोहित, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली को विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डॉ. मनोहर सिंह राजपुरोहित, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली जिनकी जन्म तिथि 09.08.1956 जां दिनांक 31.08.18 को अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण कर सेवानिवृति हो चुके है।

डॉ. मनोहर सिंह राजपुरोहित, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3-कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उक्त चिकित्सक के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है भी सुनिश्चित करें।

भवदीय

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जोधपुर।
2. डॉ. मनोहर सिंह राजपुरोहित, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली जरिये निदे.(जन. स्वा.)
3. निजी/रक्षित पत्रावली।

(ओ.पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव

61

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई-26/राजपत्रित/वचिअ/एम-143/2018/1203 दिनांक 29/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, ~~जयपुर~~
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बागड चिकित्सालय, पाली उनके पत्रांक 6084 दिनांक 01.08.2018 के क्रम में भेजकर लेख है कि डॉ० मनोहर सिंह राजपुरोहित, प्र०वि (मेडिसिन) राजकीय बागड चिकित्सालय, पाली के पेंशन प्रकरण एवं अन्य परिलाभों का निस्तारण यथाशीघ्र करवाने का श्रम करें।
5. डॉ० मनोहर सिंह राजपुरोहित, प्र०वि (मेडिसिन) राजकीय बागड चिकित्सालय, पाली को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. कार्यालय अधीक्षक, ए.टी./डी.पी.सी. सैल, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारियों की बैबसाईट पर अपलोड करावे।
8. गार्ड पत्रावली/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज० जयपुर